भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1453
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सलवाद का फैलाव

†1453. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवाद का भौगोलिक फैलाव घटकर केवल 18 जिलों तक रह गया है; यदि हाँ, तो देश में नक्सलवाद के वर्तमान फैलाव का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक दशक के दौरान हताहत हुए नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) पिछले दस वर्षों में कितने नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, कितनों ने आत्म-समर्पण किया है और कितनों का पुनर्वास किया गया है;

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं तथा इन क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश को 31 मार्च, 2026 तक नक्सल-मुक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा मे क्या प्रगति हुई है और इस लक्ष्य को कब तक हासिल कर लिया जाएगा, इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ):

(i) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग दे रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, 2015 में "वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" का अनुमोदन किया गया। इसमें सुरक्षा संबंधी उपायों,

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1453, दिनांक 09.12.2025

विकास संबंधी पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। नक्सलवाद के समाधान हेतु सरकार ने उसके मुख्य कारण के निदान के लिए आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा स्थिति तथा बुनियादी ढांचे में निवेश से निजी निवेश में वृद्धि सहित उन्नत आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बना है।

(ii) सुरक्षा उपायों में, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों की स्वीकृति देकर, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविरों के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी साझा करने, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण आदि करके सहायता प्रदान करती है।

- 2014-15 से, राज्यों की क्षमता निर्माण हेतु, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को बलों के परिचालन व्यय, राज्य पुलिस बलों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए नागरिकों/ शहीद सुरक्षा बल कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि के लिए 3523.48 करोड़ रुपये जारी किए गए है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, राज्य खुफिया शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को सुदृढ़ बनाने और विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के अंतर्गत फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण हेतु 1757 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यों की अपनी आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ हैं। 'आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास' नीति के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है और आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के तहत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, तीन वर्ष के लिए 10,000/- रुपये के मासिक वजीफे के साथ उनकी पसंद के व्यापार/व्यवसाय में प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। प्रभावित राज्यों ने अपनी आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीतियों को आकर्षक और समकालीन बनाने के लिए और संशोधित किया है।
- राज्यों द्वारा अपने पुलिस बलों को सुसज्जित और आधुनिक बनाने के प्रयासों को "पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता" योजना के तहत संपूरित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों का निर्माण, गतिशीलता, पुलिस आवास और अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1453, दिनांक 09.12.2025

- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह को रोकने और सीपीआई (माओवादी) तथा इसके वित्तीय समर्थकों के बीच सांठगांठ का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए निधियों और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए, राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न तरीकों से केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से समन्वित कार्रवाई की जा रही है।
- सुरक्षा संबंधी अवसंचरना पर भारत सरकार का अत्यधिक ध्यान रहा है। पिछले दशक में 656 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पिछले छह वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 377 नए सुरक्षा शिविर स्थापित किए गए हैं।

(iii) विकास उपायों में, भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पहल की गई हैं, जिनमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैं:

- सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित दो विशिष्ट योजनाओं, अर्थात् सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के अंतर्गत 14,978 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है।

- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 9,050 टावर स्थापित किए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 46 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और 49 कौशल विकास केन्द्र (एसडीसी) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) संचालित किए गए है।
- वित्तीय समावेशन के लिए, डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजना के तहत सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में क्रिटिकल गैप्स को भरने के लिए धनराशि प्रदान की जाती हैं। 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 3,848.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(iv) "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में लगातार कमी आई है और भौगोलिक विस्तार सीमित हुआ है। वामपंथी उग्रवाद, जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है, हाल के दिनों में काफी हद तक नियंत्रित हुआ है और अब केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं वर्ष 2025 में 2010 के उच्च

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1453, दिनांक 09.12.2025

स्तर से क्रमश: 89% (2010:1936, 2025:218) कम हो गई हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में नागरिकों व सुरक्षा बलों की मृत्यु वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 91% (2010:1005, 2025:93) तक कम हो गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी वर्ष 2014 में 126 से घटकर वर्ष 2025 में 11 हो गई है, जिसमें अब केवल 3 जिले ही सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित हैं। हालांकि, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त किए गए क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) को पुन: स्थापित होने से रोकने के लिए, 27 जिलों को एसआरई के दायरे में 'लेगसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट' के रूप में रखा गया है।

(v) दिनांक 01.01.2014 से 01.12.2025 के दौरान देश में नागरिकों की मृत्यु, वीरगति प्राप्त करने वाले सुरक्षा बलों, गिरफ्तार किए गए, आत्मसमर्पण करने वाले तथा पुनर्वासित वामपंथी उग्रवादियों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

(vi) वामपंथी उग्रवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है और भारत सरकार मार्च, 2026 तक राष्ट्र से वामपंथी उग्रवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 1453, दिनांक 09.12.2025

अनुलग्नक-1

<u>वामपंथी उग्रवाद: हिंसा संबंधी आंकड़े</u>

वर्ष	नागरिकों की मृत्यु	वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा बल कार्मिक	गिरफ्तार किए गए वामपंथी उग्रवादी	आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी
2014	222	88	1696	676
2015	171	59	1668	570
2016	213	65	1840	1442
2017	188	75	1888	685
2018	173	67	1933	644
2019	150	52	1276	440
2020	140	43	1110	475
2021	97	50	1153	736
2022	82	16	816	496
2023	106	32	924	376
2024	131	19	1090	881
2025 (दिनांक 01.12.2025 तक)	61	32	942	2167
कुल	**1734**	**598**	**16336**	**9588**

*****